UPAG010059522026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906**

जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 2531/2026

लाखन सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी– ग्राम हौद, बरौली गूजर, थाना डौकी, जिला आगरा उम्र करीब 28 वर्ष

.....अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी

मु0अ0सं0: 44/2026
धारा–108 भारतीय न्याय संहिता
थाना: डौकी, जिला आगरा

दिनांक: 09.06.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त लाखन सिंह की ओर से मु0अ0सं0 44/2026 अन्तर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता थाना डौकी, जिला आगरा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के रिश्तेदार राम सिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। सत्यता यह है कि दिनांक 05.03.2026 को अभियुक्त की मां जब अपने ट्यूबवैल पर सो रही थी तो वादी के पिता सुन्दर सिंह ने अभियुक्त की मां को अकेला देखकर बुरी नीयत से चारपाई पर दबोच लिया तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिस पर वादी की मां के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर सुन्दर सिंह उसकी मां को छोड़कर भाग गया। इस बात की जानकारी होने पर अभियुक्त ने 122 नम्बर

पर पुलिस को फोन किया, जिस पर पुलिस मौके पर आई एवं अभियुक्त ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चौकीदार सुन्दर सिंह ने उसकी मां की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, तब पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की हिदायत देकर चली गयी। सुबह होने पर अभियुक्त थाने पर जाकर सुन्दरसिंह के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाता, इसी डर व आत्मग्लानि की वजह से वादी के पिता ने रात में ही आत्महत्या कर ली, इसकी वजह से वह अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका। मृतक द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने का भय एवं समाज में मुंह दिखाने के लायक न रहने के कारण आत्महत्या की गयी है। अभियुक्त ने वादी के पिता के साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही उसे अपमानित किया। प्राथमिकी अभियुक्त, उसकी पत्नी सुनीता, पुत्र राहुल के विरूद्ध दर्ज कराई गयी, जिसमें राहुल एवं सुनीता की नामजदगी झूठी पाई गयी। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है एवं वह दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार–वादी मुकेश कुमार द्वारा थाना डौकी, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसके पिता सुन्दर सिंह अपने घर से 200 मीटर दूर शान्तिप्रसाद के सटरिंग के मालगोदाम में चौकीदारी का कार्य करते थे, दिनांक 05.03.2026 को समय रात 12.00 बजे लाखन सिंह निवासी ग्राम हौद बरौली गूजर थाना डौकी आगरा का ट्यूबवैल लगा हुआ है, जिस पर लाखन सिंह की मां उम्र करीब 75 वर्ष सो रही थी, तभी कोई अज्ञात व्यक्ति आया एवं लाखन सिंह की माता जी से छीनाझपटी करने लगा तथा उनकी नाक की लोंग आदि छीनने का प्रयास किया, जिस पर शोर करते हुए लाखन सिंह की माता जी ने पड़ौस में रहने वाले जयप्रकाश व रवि के घर का दरवाजा खटखटाया और घटना की जानकारी दी तो जयप्रकाश एवं रवि के परिजन ट्यूबवैल पर देखने गये तो वहां कोई नहीं मिला। इसकी जानकारी जब लाखन सिंह को हुई तो लाखन सिंह ने 112 नम्बर पर सूचना दी, पुलिस आई और सुबह थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कहकर चली गयी। पुलिस के जाते ही लाखन सिंह व उसकी पत्नी सुनीता, पुत्र राहुल एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने ट्यूबवैल पर आये और माताजी से छीना झपटी करने का शक के तहत वादी के पिता सुन्दर सिंह पर आरोप मढ़ते हुए उकसे पिता के साथ मारपीट की एवं बुरी तरह बेइज्जत कर

हद दर्ज की बदसूलकी की। जिससे कुपित होकर रात तीन बजे उसके पिता ने

फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

वादी की तहरीर पर थाना डौकी आगरा पर मु0अ0सं0 44/2026 अन्तर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी के पिता सुन्दर सिंह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के फलस्वरूप मृतक द्वारा आत्महत्या की गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त लाखन सिंह प्राथमिकी में नामित है, आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतक सुन्दर सिंह को प्रताड़ित किया जाना एवं मृतक द्वारा आत्महत्या किया जाना आदि आक्षेपित है।

वादी मुकेश एवं गवाह रामवीर सिंह द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है।

गवाह नत्थोदेवी, जो अभियुक्त लाखन सिंह की मां है, द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में कहा गया है कि दिनांक 05.03.2026 को रात लगभग 12.00 बजे सुन्दर सिंह उसके पास आकर बदतमीजी करने लगा तो उसने शोर मचाया, पर कोई नहीं आया। तब वह वहां से बच बचाकर भागी, रवि के घर के पास आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। तब वह जयपाल के घर पहुंची तो उसकी आवाज सुनकर जयपाल एवं एदल सिंह आ गये, उसने उनको सारी बात बताई। तब जयपाल उसकेक पुत्र लाखन सिंह को बुलाकर लाया। उसके बाद पुलिस भी आई थी, परन्तु बदनामी की वजह से उसने पुलिस को सुन्दर सिंह का नाम नहीं बताया था। बात पूछने के लिलए शान्ति प्रसाद, जसराम व लाखन सटरिंग गोदाम पर सुन्दर सिंह के पास गये तो सुन्दर सिंह ने बताया कि वह कहीं नहीं गया। उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। समय करीब तीन बजे मुकेश एवं रामनिवास जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि लाखन ने उसके बाप को फांसी लगाकर मार दिया है। सुन्दर सिंह ने शर्म की वजह से फांसी लगाई है।

स्वतंत्र गवाह जयपाल सिंह, एदल सिंह द्वारा भी विवेचक को दिये गये बयानों में उपरोक्त वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है।

केस डायरी में संलग्न मृतक सुन्दर सिंह उम्र करीब 65 वर्ष की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण, मृत्युपूर्व लटकने से दम घुटने के कारण होना दर्शित किया गया है। मृत्युंपूर्व चोटों में मृतक के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया है।

आवेदक/अभियुक्त लाखन सिंह प्राथमिकी में नामित है आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतक सुन्दर सिंह को प्रताड़ित किये जाने के फलस्वरूप मृतक द्वारा आत्महत्या किया जाना कहा गया है। प्रकरण में विवेचना समाप्त होकर आरोप पत्र संलग्न केस डायरी किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

तदैव मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त लाखन सिंह को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है एवं जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त लाखन सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
09.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.10 06:52:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court